REVIEW OF RESEARCH
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF) UGC APPROVED JOURNAL NO. 48514 ISSN: 2249-894X
VOLUME - 8 | ISSUE - 6 | MARCH - 2019

कृषि विकास कार्यक्रमों का कृषकों की आर्थिक स्थिति पर प्रभाव (धार जिले की अनुसूचित जनजाति के विशेष सन्दर्भ में)

प्रो. राजेश मईड़ा
सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य)
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धार (म.प्र.)

प्रस्तावना–

भारत की जनसंख्या की जनसंख्या का 20.8 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति वर्ग के अन्तर्गत सम्मिलित है।[1]वर्तमान तकनीकी युग में भी आदिम कृषि व्यवस्था, बुनियादी सुविधाओं का अभाव, भौगोलिक अलगाव के कारण अत्यधिक सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक पिछड़ेपन की समस्या से ग्रसित है।[2] भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 एवं 342 के खण्ड 1 में निहित प्रावधानों के अनुसार इन समुदायों को अनुसूचित जाति एवं जनजाति के रूप में अधिसूचित किया गया था।[3] मध्यप्रदेश की जनगणना 2011 के अनुसार मध्यप्रदेश में अधिसूचित अनुसूचित जनजातियों की सूची में मुख्य एवं उप–समूह के अनुसार 43 जनजातियाँ है। जनगणना 2011 में कीर, मीना एवं पारधी समुदाय को अनुसूचित जनजातियों की सूची से निरूपित किया गया।[4] अनुसूचित जनजाति भारत की जनसंख्या में 8.6 प्रतिशत एवं मध्यप्रदेश की जनसंख्या में 21.1 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता है कुल ग्रामीण जनसंख्या का 27.2 प्रतिशत एवं शहरी जनसंख्या में 5.2 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता है। जनजातीय जनसंख्या में 87 प्रतिशत कृषि एवं कृषि आधारित व्यवसय पर निर्भर है शेष जनसंख्या गैर–कृषि व्यवसाय एवं शासकीय एवं गैर–शासकीय नौकरी में संलग्न है। मध्यप्रदेश की जनजातियों में 50.6 प्रतिशत साक्षर जनसंख्या है।[5] कृषि का पिछड़ापन व मौसम आधारित कृषि के कारण तीव्रदर से बढ़ने वाली श्रम शक्ति में बेरोजगारी तथा अर्द्ध बेरोजगारी की स्थिति का स्पष्ट संकेत है। उद्योग क्षेत्र के पास भी ऐसी समस्याओं का आर्थिक निदान नहीं है। कृषि क्षेत्र भू–जोतो के घटते आकार के कारण तथा संगठित उद्योग जरूरतमंद रोजगार के अवसर सृजित करने में असमर्थ रहे हैं। कृषि का आधुनिकीकरण तथा वाणिज्यीकरण, गैर फसल वस्तुओं एवं सेवाओं की बढ़ती हुई मांग, शहरीकरण, बढ़ती साक्षरता तथा कल्याण उन्मुख नीति, हस्तक्षेपों से बढ़ती हुई रोजगार आदि, विकासात्मक कार्यक्रम तथा योजनाओं ने श्रम षक्ति को कृषि क्षेत्र से हटाकर गैर–कृषि क्षेत्र की ओर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। गरीबी, बेरोजगारी, अर्द्धरोजगार तथा बारम्बार आने वाली प्राकृतिक विपदाओं जैसे कारणों ने जनजातीय परिवारों को गैर–कृषि रोजगार की खोज में पलायन करने, शहरी व्यवस्था में प्रताड़ना, शोषण सहने के लिए को बाध्य किया है।[6]

ऋणग्रस्तता, गरीबी एवं बेरोजगारी की समस्या से छुटकारा प्राप्त करने तथा अपनी आर्थिक दशा में सुधार के लिए अनुसूचित जनजाति वर्ग के कृषक कृषि के अतिरिक्त अन्य विविध आर्थिक क्रियाकलापों से जुड़ने का प्रयास नहीं करते है।[7]इसका प्रमुख कारण अशिक्षा, उद्यमि गुणों का अभाव, रूढ़िवादी विचारधारा, अंधविश्वास, परम्परावादी विचारधारा, शहरी क्षेत्रों से दूरी, आदि कारणों से जनजाति की निम्न आर्थिक स्थिति का प्रमुख कारण है। ग्रामीणजनजातीय कृषकों की कृषि विकास एवं आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए शासन द्वारा अनेक योजनाओं जिनमें सिचांई सुविधा, तकनीकी उपकरण, बीज, खाद, उर्वरक, विपणन सुविधा, भावान्तर राशि, आदि योजनाओं का संचालन किया जा रहा है।[8] कृषि एवं कृषि सम्बन्धि अन्य योजनाओं के अन्तर्गत पशुपालन, डेयरी व्यवसाय, मुर्गीपालन, मत्स्यपालन तथा वानिकी, दुकान, होटल, सिनेमाघर आदि। बागवानी फसलों के अन्तर्गत फलों एवं सब्जियों से जुड़े रोजगार, बीज उत्पादन से जुड़े रोजगार, दुग्ध उत्पादन से जुड़े रोजगार, कुक्कुट व मधुमक्खी पालन से जुड़े रोजगार, बागवानी से जुड़े रोजगार, वन–औषधियों से जुडे रोजगार, कृषि उपकरणों से जुड़े रोजगार, लघु–मिलों से जुड़े रोजगार, जैविक कृषि से जुड़े रोजगार आदि।[9]ग्रामीण गतिविधियों में अतिरिक्त बागवानी, नर्सरी, फूलो की खेती आदि योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। जनजातीय क्षेत्रों में रोजगार सृजन आर्थिक रूप से कमजोर लोगो के लिए रोजगार की व्यवस्था करना शासकीय नियोजन का प्रमुख उद्देश्य रहा है।[10]

उद्देश्य :–

- धार जिले में शासकीय कृषि योजनाओं के क्रियान्वयन से जनजातीय कृषकों की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन की जाँच करना।

परिकल्पना :–

H_a: जनजातीय कृषकों की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन एवं शासकीय कृषि योजनाओं के मध्य सकारात्मक सम्बन्ध है।

शोधप्रविधि :–

द्वितीयक समंक :– द्वितीयक समंक के लिए विभिन्न जर्नल, शासकीय प्रतिवेदन, इंटरनेट पर उपलब्ध समंकों आदि का उपयोग किया गया।
प्राथमिक समंक :–चयनित जनजातीय बहुल धार जिले में अग्रणि बैंक द्वारा प्राप्त विविध बैंकों से विभिन्न कृषि योजनाओं के अन्तर्गत अनुदान योजना के हितग्राहियों की सूची से सविचार निदर्शन विधि द्वारा कुल 180 उत्तरदाताओं का चयन कर साक्षात्कार अनुसूची के आधार पर जनजातीय कृषकों की कृषि विकास हेतु प्राप्त ऋण से आर्थिक स्थिति में परिवर्तन का अध्ययन किया गया है।

धार जिले का परिचय :–

प्रस्तुत शोधपत्र मध्यप्रदेश के धार जिले पर आधारित है धार जिला मध्य प्रदेश के पश्चिम में स्थित जनजातीय बहुल क्षेत्र हैजो 13 विकासखण्ड व 8 तहसीलों में प्रशासित है। जिनमें मुख्य रूप से भील जनजाति प्रमुख है अन्य जनजातियों में भीलाला, बारेला व पटेलिया जनजाति मुख्य रूप केन्द्रीत है जो पूर्णतः मानसून आधारीत कृषि पर आश्रित है। रोजगार के परम्परागत साधन होने व कृषि की अल्प उत्पादकता के कारण अत्यन्त निम्न स्तरीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं।कुछजनजातियाँ ऐसे भौगोलिक क्षेत्रों में निवासीत जो अत्यन्त घने जंगलों, पर्वतों एवं पहाड़ी क्षेत्र में अत्यधिक प्राचीन, पिछड़ेपन एवं अभावों में जीवन व्यतीत कर रहे है।

तालिका क्रमांक – 1
धार जिले में वर्ष 2011 की स्थिति में वर्गानुसार जनसंख्या

जिला धार	कुल	पुरुष	स्त्री	कुल जनसंख्या से प्रतिशत
अनुसूचित जनजाती	1222814	614619	608195	55.94
अनुसूचित जाती	145436	74291	71145	6.66
अन्य	817543	423815	393728	37.40
कुल	**2185793**	**1112725**	**1073068**	**100**

स्त्रोतः–जिला सांख्यिकि पुस्तिका 2011।

वर्ष 2011 की जनगणना में अनुसूचित जनजाति की संख्या धार जिलें में 1,222,814 है जो कुल जनसंख्या का 55.94 प्रतिशत है। जिसमें 1ए142ए263 ग्रामीण तथा 80ए551 शहरी क्षेत्र में निवासीत है। अनुसूचित जाति की जनसंख्या 1,45,436है जो कुल जनसंख्या का 6.66 प्रतिशत है। अन्य जनसंख्या 8,17,543 है जों कुल जनसंख्या का 37.40 प्रतिशत है।

तालिका क्रमांक – 2
आयु एवं शिक्षा के आधार पर वर्गीकरण

विवरण		शिक्षा								कुल	
		प्राथमिक		माध्यमिक		हाई स्कूल		अधिक			
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
आयु	18 से 30 वर्ष	8	4.44	29	16.11	28	15.56	16	8.89	**81**	**45.00**
	31 से 45 वर्ष	3	1.67	6	3.33	52	28.89	15	8.33	**76**	**42.22**
	45 वर्ष से अधिक	2	1.11	2	1.11	7	3.89	12	6.67	**23**	**12.78**
कुल		**13**	**7.22**	**37**	**20.56**	**87**	**48.33**	**43**	**23.89**	**180**	**100.00**

स्रोतः– सर्वेक्षण आधारित समंकों का विश्लेषण।

सकारात्मकसह–सम्बन्ध = 0.82 (0.00 प्रतिशत सार्थकता स्तर)

आयु एवं शिक्षा के मध्य महत्वपूर्ण सह–सम्बन्ध पाया गया। अध्ययन में सम्मिलित उत्तरदाताओं की आयु एवं शिक्षा के मध्य 0.82 प्रतिशत (0.00 सार्थकता स्तर) का उच्च स्तरिय धनात्मक सह–सम्बन्ध है। कृषि में उन्नत तकनीकी के उपयोग एवं कृषि विकास योजनाओं के ज्ञान एवं समझ का विकास, बैंक से ऋण प्रक्रिया पश्चात् राशि का सदुपयोग करने में शिक्षा एवं अनुभव कृषि में आधुनिक तकनीकी के विकास को क्रियान्वित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अतः कहा जा सकता है अध्ययन क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति वर्ग के कृषक कृषि विकास योजनाओं के लिए अनुभवी एवं आवश्यक शैक्षणिक योग्यता की अर्हता का पालन करते है।

तालिका क्रमांक – 3

कृषि भूमि का आकर एवं कृषि योजना के अन्तर्गत ऋण तालिका

		कृषि भूमि का आकर						कुल	
		2 एकड़ से कम		3 से 5 एकड़		5 एकड़ से अधिक			
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
कृषि योजना के अन्तर्गत ऋण	कृषि ऋण (नकद)	39	21.67	23	12.78	22	12.22	84	46.67
	सिंचाई संसाधन	20	11.11	11	6.11	5	2.78	36	20.00
	ट्रेक्टर	14	7.78	6	3.33	5	2.78	25	13.89
	बागवानी फसल	6	3.33	10	5.56	3	1.67	19	10.56
	पशुपालन	8	4.44	5	2.78	3	1.67	16	8.89
कुल		87	48.33	55	30.56	38	21.11	180	100.00

स्रोतः– सर्वेक्षण आधारित समंकों का विश्लेषण।

कृषि भूमि के आकार के अन्तर्गत 48.33 प्रतिशत जनजातीय कृषक 2 एकड़ से कम, 30.56 प्रतिशत 3 से 5 एकड़ एवं 21.11 प्रतिशत 5 एकड़ से अधिक भूमि का स्वामित्व है।कृषि विकास योजनान्तर्गत 46.67प्रतिशत जनजातीय कृषक कृषि ऋण योजना के अन्तर्गत नकद ऋण प्राप्त किया। उक्त ऋण राशि का उपयोग कृषकों द्वारा कृषि में विनियोग के अतिरक्त नीजि पारिवारिक एवं सामाजिक कार्यो में व्यय किया गयाहै। सिंचाई संसाधनों के विकास के लिए 20प्रतिशत जनजातीय कृषकों द्वारा ऋण लिया गया है जिनमें नवीन कुआँ खुदाई, गहरीकरण एवं पक्का कुआँ केलिए, पाईप लाइन, मोटर पम्प, ड्रिप सिंचाई आदि के लिए ऋण लिया गया है। कृषि तकनीकी उपकरण के अन्तर्गत ट्रेक्टर के लिए 13.89प्रतिशत जनजातीय कृषकों द्वारा ऋण लिया गया। ट्रेक्टर का उपयोग नीजी कृषि भूमि तैयार करने, परीवहन के अतिरिक्त किराया पर संचालित कर अतिरिक्त आय के उद्देश्य से क्रय किया गया है। बागवानी फसलों के अन्तर्गत फलों की कृषि के लिए 10.56प्रतिशत द्वारा ऋण लिया गया। प्रमुख फलों के अन्तर्गत आँवला, पपीता, कैले, अमरूद, आम के अतिरिक्त सागवान के लिए ऋण लिया गया है। पशुपालन कृषि के सहायक रोजगार एवं आय प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण है। अध्ययन में 8.89प्रतिशत कृषकों द्वारा पशुपालन के लिए ऋण लिया गया है जिसमें दूध उत्पादन, भेड़–बकरी एवं बैलों की जोड़ी के लिए ऋण लिया गया है।

तालिका क्रमांक– 4

आय एवं ऋण तालिका

विवरण		ऋण								कुल	
		1 लाख से कम		1 से 1.5 लाख		1.5 लाख से 2 लाख		2 लाख से अधिक			
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
आय	1 लाख से कम	10	5.56	22	12.22	18	10.00	7	3.89	**57**	**31.67**
	1 से 1.5 लाख	4	2.22	21	11.67	7	3.89	14	7.78	**46**	**25.56**
	1.5 लाख से 2 लाख	5	2.78	14	7.78	9	5.00	6	3.33	**34**	**18.89**
	2 लाख से अधिक	11	6.11	21	11.67	6	3.33	5	2.78	**43**	**23.89**
कुल		**30**	**16.67**	**78**	**43.33**	**40**	**22.22**	**32**	**17.78**	**180**	**100.00**

स्रोतः– सर्वेक्षण आधारित समंकों का विश्लेषण।

नकारात्मक सह–सम्बन्ध = –0.23 (0.01 प्रतिशत सार्थकता स्तर)

तालिका विश्लेषण से स्पष्ट है कि आय एवं ऋण के मध्य 0.23 प्रतिशत (0.01 प्रतिशत सार्थकता स्तर) निम्न स्तरीय ऋणत्मक सह–सम्बन्ध है। अर्थात ऋणों में वृद्धि का आय पर नकारात्मक होगा। जनजातीय कृषकों की गरीबी व ऋणग्रस्तता का प्रमुख कारण कृषि आय की अनिश्चितता एवं ऋणों में लगातार वृद्धि आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करती है। वहीं आय के स्रोतों में वृद्धि, कृषि हेतु सिंचाई साधनों का विकास कृषि भूमि के सर्वाधिक भू–भाग का कृषि उत्पादन में उपयोग, पर्याप्त सिंचाई, तकनीकी के उपयोग से कृषि उपज उत्पादन में वृद्धि जनजातीय कृषकों की आय में वृद्धि के साथ ऋणों पर निर्भरता में कमी का जनजातियों की आर्थिक स्थिति को उच्च स्तर पर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है।

तालिका क्रमांक – 5

One-Sample Test

	Test Value = 0					
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
					Lower	Upper
ऋण पूर्व आय	22.234	179	.000	106477.78	97027.82	115927.74
ऋण पष्चात् आय	25.256	179	.000	188794.44	174043.68	203545.21

कृषि विकास योजनाओं के क्रियान्वय से जनजातीय कृषकों की आय में परिवर्तन के अन्तर्गत ऋण लेने के पूर्व जनजातीय कृषकों की प्रतिवर्ष आय का (Mean = 106477.78, S.D = 64249.82) एवं कृषि विकास हेतु ऋण लेने के पश्चात् जनजातीय कृषकों की वार्षिक आय का (Mean = 188794.44, S.D = 100289.74)सार्थक अन्तर विद्यमान है।ऋण लेने के पश्चात् जनजातीय कृषकों की आय में 56.39प्रतिशत का प्रविर्तन आया है। अतः कहा जा सकता है कि कृषि विकास योजनाओं के क्रियान्वयन से जनजातीय कृषकों की आय में महत्वपूर्ण सार्थक परिवर्तन आया है।

तालिका क्रमांक – 6

ऋण एवं शासकीय योजनान्तर्गत प्राप्त ऋण के मध्य सह–सम्बन्ध

विवरण		शासकीय योजनान्तर्गत प्राप्त ऋण				कुल
		1 लाख से कम	1 से 1.5 लाख	1.5 लाख से 2 लाख	2 लाख से अधिक	
आर्थिक स्थिति में परिवर्तन	हाँ	20	67	19	7	**113**
	नहीं	10	11	21	25	**67**
कुल		**30**	**78**	**40**	**32**	**180**

सकारात्मक सह–सम्बन्ध = 0.39 (0.00प्रतिशत सार्थकता स्तर)

शासकीय योजनान्तर्गत प्राप्त ऋण के पश्चात् जनजातीय कृषकों की आय में वृद्धि से आर्थिक स्थिति पर प्रभाव के अन्तर्गत 62.78 प्रतिशत जनजातीय कृषकों की आय में वृद्धि हुई जबकि 37.22 प्रतिशत जनजातीय कृषकों के आर्थिक जीवन में परिवर्तन नहीं आया बल्कि नकारात्मक प्रभाव आया है। जनजातीय कृषकों को कृषि उत्पादन में कमी, पारिवारिक व्ययों में वृद्धि, ऋण राशि का सदुपयोग का अभाव आदि एवं बैंक ऋण में वृद्धि के कारण जनजातीय कृषकों की आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

परिकल्पनापरीक्षण :–

H_a: जनजातीय कृषकों की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन एवं शासकीय कृषि योजनाओं के मध्य सकारात्मक सम्बन्ध है।

H_a: जनजातीय कृषकों की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन एवं शासकीय कृषि योजनाओं के मध्य सम्बन्ध नहीं है।

तालिका क्रमांक – 7

Chi-Square tests	Value	df	Asymp. Sig.
Pearson Chi-Square	44.943	3	.000
N of Valid Cases	**180.000**		

काई वर्ग तालिका से स्पष्ट है कि 5प्रतिशत सार्थकत्ता स्तर (3Degree of Freedom) पर χ^2 का तालिका मूल्य (7.815) है जबकि χ^2 का आंकलित मूल्य (44.943) है। सारणी मूल्य एवं आंकलित मूल्य की तुलना के अधार पर यह कहा जा सकता है कि दोनों गुण स्वतंत्र न होकर आपस में सम्बन्धित है। अतः हमारी शून्य परीकल्पना अस्वीकृत होती है एवं वैकल्पिक परिकल्पना **"H_a: जनजातीय कृषकों की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन एवं शासकीय कृषि योजनाओं के मध्य सकारात्मक सम्बन्ध है।"** स्वीकृत होती है।

शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में समस्याएँ :–

- **पर्याप्त वित्त का अभाव** :–कृषि में विभिन्न गतिविधियों को प्रारम्भ करने के लिए प्रारम्भिक एवं चालू वित्त का अभाव होने के कारण योजनाओं के क्रियान्वयन में समस्या उत्पन्न होती है।
- **व्यावसायिक प्रबंधन ज्ञान का अभाव** :–अशिक्षा, अपर्याप्त व्यापारिक ज्ञान, तकनिकी व व्यापार प्रबंधन गुणों की कमी के कारण जनजातीय कृषक व्यावसायिक गतिविधियों में भागीदारी नहीं करते हैं।
- **व्यावसायिक प्रशिक्षण की कमी** :–व्यावसायिक तकनिकों व पूँजी प्रबंधन के प्रशिक्षण का अभाव है। आधुनिक तकनीकी उपयोग से अधिक उत्पादन का लाभ लेकर आय में वृद्धि की जा सकती है किन्तु प्रशिक्षण प्रदान करने वाली संस्थाओं व एजेंसियों की कमी के कारण उत्पादन के साथ रोजगार के अवसर भी ग्रामीण क्षेत्रों मे कम होते जा रहे है।
- **व्यावसायिक शिक्षा की कमी** :–जनजातियों क्षेत्रों में व्यावसायिक शिक्षा व प्रशिक्षण केन्द्रों की कमी कृषि के व्यावसायिक गतिविधियों को प्रभावीत करती है।
- **संस्थागत साख की अपर्याप्तता** :–जनजातियों को व्यावसायिक गतिविधियों में सहभागीता बढ़ानें के लिए शासकीय स्तर पर अनेक योजनाएँ संचालित है। किन्तु जनजातीय उत्तरदाताओं को इसकी जानकारी का अभाव है। इन योजनाअें की प्रक्रिया इतनी लम्बी व कठिन होने के कारण जनजातीय कृषक इनका लाभ लेने से ड़रते हैं।
- **महिलाओं की भागीदारी कम होना** :–जनजातीय समाज पुरूष प्रधान है अतः समस्त आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक गतिविधीयॉ पुरुषों द्वारा संचालीत होती है अतः व्यावसायिक क्रियाओं में महीलाओं की भूमिका नगन्य है। इसका प्रभाव पारिवारिक व आर्थिक दोनों पर समान रूप से पड़ता है।
- **अन्य समस्याएँ** :–अन्य कारक जिनमें कृषक का पारिवारिक कारक (परिवार का बडा आकार, परिवार का विघटन, पारिवारिक विवाद, न्यायिक प्रकरण, रिति–रिवाज, पर्व, त्योहार, नशाखोरी आदि), सामाजिक व सांस्कृतिक कारक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि को प्रभावित करता हैं।

निष्कर्ष :–

जनजातियों में शिक्षा के विकास से पारिम्परक आर्थिक गतिविधियों में परिवर्तन आया है। विभिन्न शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन के पश्चात् जनजातीय समुदाय के बहुत बड़े वर्गको सूदखोरो, व्यापारी ओर ठेकेदार के शारीरिक, मानसिक व आर्थिक शोषण के साथ जमीन अधिग्रहण, गिरवी सम्पत्ति आदि कारक बन्धुआ मजदूरी से निजात मिल पाई है। कृषि विकास में सड़क, बिजली, पानी की कमी पलायन आदि अवरोध उत्पन्न करते हैं।शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन के पश्चात् जनजातीय कृषकों की कृषि तकनीकी में परिवर्तन, सिंचाई संसाधनों का विकास, उत्पादन, आय, विनियोग में वृद्धि होने से स्थाई ऋणों में कमी होने से नवीन साधनों पर विनियोग की स्थिति उत्पन्न करने में शासकीय योजनाओं की सार्थकता सिद्ध होती है।

सन्दर्भ सूची :–

1. http://censusindia.gov.in/2011census/dchb/DCHB_A/23/2324_PART_A_DCHB_india.pdf
2. सिंह शाहेदा **"म.प्र. की प्रमुख जनजातियाँ और उनका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य"**Research Journal of social and life science, ISSN 0973-3914 Volume 06 year 03 Jan-Jun 2009, Pages 673.
3. राजपूत उदयसिहं (2006): **"मध्यप्रदेश में आदिवासी विकास : दशा एवं दिशा"** 'मध्यप्रदेश, सामाजिक विज्ञान अनुसंधान जर्नल, 'मध्यप्रदेश सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान, उज्जैन, मध्यप्रदेश, जनवरी–दिसम्बर 2006। पृ.–75
4. http://censusindia.gov.in/2011census/dchb/DCHB_A/23/2324_PART_A_DCHB_dhar.pdf
5. http://censusindia.gov.in/2011census/dchb/DCHB_A/23/2324_PART_A_DCHB_madhyapradesh.pdf
6. शर्मा डी. के. (1974): **"मध्यप्रदेश के भील"** आदिवासी विकास परिषद, मध्यप्रदेश भोपाल। पृ. 23
7. श्रीवास्तव ए. आर. एन. (2007) :**"जनजातीय भारत"** मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल। पृ. 51
8. वैद्य नरेश कुमार (2003) : **"जनजातीय विकास"** रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर एवं नई दिल्ली। पृ. 31
9. श्रीवास्तव ए. आर. एन. (2007) : **"जनजातीय भारत"** मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी,, भोपाल। पृ.12
10. वर्मा एम एल. (1992) : **"भीलों की सामाजिक व्यवस्था"** क्लासिक पब्लिशिगं कम्पनी करमपुरा, नई दिल्ली। पृ. 23

LBP PUBLICATION